न्यायालय जिला कलेक्टर, टोंक

(डॉ0 सौम्या झा, आई.ए.एस द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 04 / 2023
प्रविष्टि दिनांक 03.01.2023

जरिये सूरज भान सिंह प्रर्वतन निरीक्षक कार्यालय जिला रसद अधिकारी टोंक
— प्रार्थी

बनाम

मै0 महेन्द्र सिंह हाडा पुत्र स्व.श्री रामपाल हाडा जाति हाडा निवासी एजेन्सी एरिया देवली
— अप्रार्थी

जब्तशुदा 30 घरेलू गैस सिलेण्डर मय 2 मोटर मय पाईप ग्लासी इन्डिकेटर को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए के तहत निस्तारण कर राजसात करने बाबत

उपस्थितः—
1— पेराकार सरकार —प्रार्थी की ओर से
2— श्री प्रशान्त कुमार अग्रवाल, अभिभाषक —अप्रार्थी

निर्णय **दिनांक 07.02.2024**

प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि दिनांक 15.12.2022 को प्रवर्तन निरीक्षक बहमराह प्रवर्तन अधिकारी टोंक द्वारा मै. महेन्द्र सिंह हाडा पुत्र स्व. श्री रामपाल हाडा जाति हाडा निवासी एजेन्सी एरिया, देवली के स्वयं के मकान के बाहर स्थित दुकान में अवैध गैस रिफिलिंग की सूचना प्राप्त होने पर पहुंचें। मौके पर अप्रार्थी के मकान के बाहर स्थित दुकान में 02 मोटर भय पाईप ग्लासी इन्डिकेटर जो पाईप एवं मोटर के बीच में जुड़ा हुआ था। जिससे वाहनों में अवैध रिफिलिंग का कार्य किया जाता है, रखी हुई थी, जिसका एक सिरा घरेलू गैस श्रेणी के सिलेण्डर से जुडा हुआ था एवं मोटर बिजली के तार बोर्ड से जुडी हुई थी। घरेलू गैस श्रेणी के सिलेण्डर का अवैध रूप से मोटर से जोडा जाना, इससे स्पष्ट है कि वहाँ पर उक्त सिलेण्डर के माध्यम से अवैध रिफिलिंग का कार्य हो रहा था। उक्त कृत्य एलपीजी कन्ट्रोल आर्डर 2000 का स्पष्ट उल्लघंन होने के कारण उक्त 30 घरेलू गैस सिलेण्डर मय 2 मोटर मय पाईप ग्लासी इन्डिकेटर मौके पर कब्जेराज लिया जाकर फर्द अभिग्रहण तैयार की गई जिसका विवरण निम्नानुसार है

जिला कलेक्टर
टोंक

(सभी मात्रा किलोग्राम में)

क्र.स.	एस.आर. नम्बर	कम्पनी का नाम	मानक भार	खाली सिलेण्डर वजन	सिलेण्डर का वजन तौलने पर	शुद्ध गैस
01	250134-T	(BPCL)	14.2 k.g.	15.4	20.0	4.3
02	217043-P	(BPCL)	14.2 k.g.	15.7	15.8	0.1
03	013520-J	(BPCL)	14.2 k.g.	15.7	16.3	0.6
04	913607-T	(BPCL)	14.2 k.g.	15.6	16.2	0.6
05	273996-T	(BPCL)	14.2 k.g.	15.7	15.7	0
06	145570-J	(BPCL)	14.2 k.g.	15.4	15.9	0.5
07	270769-T	(BPCL)	14.2 k.g.	16.0	16.4	0.4
08	751383-S	(BPCL)	14.2 k.g.	15.5	15.5	0
09	510846-S	(BPCL)	14.2 k.g.	15.9	16.3	0.4
10	84415-T	(BPCL)	14.2 k.g.	15.7	16.0	0.3
11	16430-S	(BPCL)	14.2 k.g.	15.7	15.7	0
12	468680-S	(BPCL)	14.2 k.g.	16.0	16.0	0
13	25484-S	(BPCL)	14.2 k.g.	15.7	15.7	0
14	357628-S	(BPCL)	14.2 k.g.	15.6	16.0	0.4
15	194961-S	(BPCL)	14.2 k.g.	16.0	16.0	0
16	028360-S	(BPCL)	14.2 k.g.	15.5	16.1	0.6
17	11933-S	(BPCL)	14.2 k.g.	15.6	15.6	0
18	21338-S	(BPCL)	14.2 k.g.	16.0	16.0	0
19	237769-S	(BPCL)	14.2 k.g.	16.3	16.3	0
20	790002-S	(BPCL)	14.2 k.g.	15.6	15.6	0
21	000370-T	(BPCL)	14.2 k.g.	15.8	15.8	0
22	104019-S	(BPCL)	14.2 k.g.	15.7	16.3	0.6
23	215054-S	(BPCL)	14.2 k.g.	16.4	17.1	0.7
24	18334-S	(BPCL)	14.2 k.g.	15.6	30.2	14.6
25	23045-S	(BPCL)	14.2 k.g.	16.7	30.5	13.8
26	70700-S	(BPCL)	14.2 k.g.	16.0	29.9	13.9
27	330357-S	(BPCL)	14.2 k.g.	15.5	29.5	14
28	252	(BPCL)	14.2 k.g.	15.5	30.1	14.6
29	367027-S	(BPCL)	14.2 k.g.	15.7	30.3	14.6
30	100786-B	(BPCL)	14.2 k.g.	15.4	15.4	0
				Total		95 KG

व्यवसायी श्री महेन्द्र सिंह हाडा ने उक्त कृत्य कर एलपीजी (प्रदाय और वितरण का विनियमन) आदेश 2000 का स्पष्ट उल्लघंन किया है। अतः उक्त जब्तशुदा 30 घरेलू गैस सिलेण्डरों मय 95 किलो एलपीजी, 2 मोटर मय पाईप ग्लासी इन्डिकेटर को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए के तहत राजसात किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

जिला कलक्टर
टोंक

पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थी की गयी।

अभिभाषक अप्रार्थी ने जवाब पेश किया कि दिनांक 15–12–2022 को प्रवर्तन निरीक्षक श्री सूरजभान सिंह तथा प्रवर्तन अधिकारी श्री धर्मचन्द अग्रवाल द्वारा मै. महेन्द्र सिंह हाड़ा पुत्र स्व. श्री रामपाल हाडा जाति हाडा निवासी एजेन्सी एरिया, देवली, टोंक के निवास स्थान के बाहर स्थित दुकान में 2 मोटर मय पाईप ग्लासी इन्डिकेटर जो पाईप एवं मोटर के बीच में जुड़ा हुआ था, जिसका एक सिरा घरेलू गैस श्रेणी के सिलेन्डर से जुडा हुआ था एवम् मोटर बिजली के तार बोर्ड से जुडी हुयी होना बताकर एलपीजी कन्ट्रोल आर्डर 2000 का उल्लंघन होने के कारण 30 घरेलू गैस सिलेन्डर मय 2 मोटर मय पाईप ग्लासी इन्डिकेटर को कब्जेराज में लिया जाकर फर्द अभिगृहण बनाकर माननीय न्यायालय के समक्ष उक्त परिवाद पेश किया गया है जो कि नितान्त गलत एवं अस्वीकार है, प्रवर्तन निरीक्षक व प्रवर्तन अधिकारी द्वारा अपने उक्त परिवाद में ऐसी कोई विडियोग्राफी/फोटोग्राफ्स पेश नहीं किये हैं जो कि उनके उक्त कथन की पुष्टि करते हो। मै. महेन्द्र हाड़ा द्वारा उक्त परिवाद में बताया गया अवैध गैस रिफिलिंग का कोई कारोबार नहीं किया जाता है। उक्त परिवाद में बताये गये 30 सिलेण्डर बीपीसीएल कम्पनी के अधिकृत डिस्ट्रीब्यूटर द्वारा नियमित घरेलू सप्लाई हेतु चिन्हित जगह पर रखकर वितरण किया जाता है और इसी प्रयोजनार्थ उक्त सिलेन्डर रखे हो तो महेन्द्र हाड़ा अप्रार्थी को इस तथ्य की जानकारी नहीं है क्योंकि उक्त सिलेन्डर अप्रार्थी की दुकान में रखे हुए हो इस तथ्य की पुष्टि बाबत कोई विडियोग्राफी/फोटोग्राफ तथा तथ्यात्मक सबूत भी प्रर्वतन निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। अप्रार्थी का उपरोक्त धारा–6 ईसीए में प्रस्तुत परिवाद में बताये गये अपराध व कृत्य से कोई लेना देना नही है और ना ही परिवाद पत्र में बताया गया अवैध गैस रिफिलिंग का काम किया जाता है साथ ही परिवाद पत्र में कहीं भी इस तथ्य का अंकन नही है कि वरवक्त मौका रिफिलिंग की जा रही हो। अतः प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

प्रकरण मे पेरोकार सरकार एंव अभिभाषक अप्रार्थी की बहस सुनी गई।

पेरोकार सरकार ने दौराने बहस कथन किया किया दिनांक 15.12.2022 को प्रवर्तन निरीक्षक बहमराह प्रवर्तन अधिकारी टोंक द्वारा मै. महेन्द्र सिह हाडा पुत्र स्व. श्री रामपाल हाडा जाति हाडा निवासी एजेन्सी एरिया, देवली के स्वंय के मकान के बाहर स्थित दुकान में अवैध गैस रिफिलिंग की सूचना प्राप्त होने पर पहुंचें। मौके पर अप्रार्थी के मकान के बाहर स्थित दुकान में 02 मोटर मय पाईप ग्लासी इन्डिकेटर जो पाईप एवं मोटर के बीच में जुड़ा हुआ था। जिससे वाहनों में अवैध रिफिलिंग का कार्य किया जाता है, रखी हुई थी, जिसका एक सिरा घरेलू गैस श्रेणी के सिलेण्डर से जुडा हुआ था एवं मोटर बिजली के तार बोर्ड से जुडी हुई थी। घरेलू गैस श्रेणी के सिलेण्डर का अवैध रूप से मोटर से जोडा जाना, इससे स्पष्ट है कि वहाँ पर उक्त सिलेण्डर के माध्यम से अवैध रिफिलिंग का कार्य हो रहा था। उक्त कृत्य एलपीजी कन्ट्रोल आर्डर 2000 का स्पष्ट उल्लघंन होने के कारण उक्त 30 घरेलू गैस सिलेण्डर मय 2 मोटर

जिला कलेक्टर
टोंक

मय पाईप ग्लासी इन्डिकेटर मौके पर कब्जेराज लिया जाकर फर्द अभिग्रहण तैयार की गई। मौके पर पाये गये सभी एलपीजी सिलेण्डर बीपीसीएल कम्पनी के है तथा देवली शहर के अन्दर बीपीसीएल कम्पनी के ही डिस्ट्रीब्युटर मै. मोहन गैस एजेन्सी के नाम से है। इतनी भारी मात्रा में एक जगह सिलेण्डर मिलने से इसमें गैस एजेन्सी संचालक की मिलीभगत प्रतीत होती है। इस प्रकार घरेलू गैस सिलण्डरों का अवैध भण्डारण किया जाना एलपीजी कन्ट्रोल आर्डर 2000 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लघंन है। इस कारण उपरोक्त 30 घरेलू गैस सिलेण्डरों एवं 2 मोटर मय पाईल रेगूलेटर को जब्त किया गया तथा जब्त सामग्री को सुरक्षा की दृष्टि से सुरक्षित रखने हेतु मोहन गैस डिस्ट्रीब्यूटर देवली के प्रतिनिधि श्री कपिल दाधीच पुत्र श्री विष्णु दाधीच जाति ब्राह्मण निवासी पटेल नगर, देवली की सपुदर्गी में दिया जाकर निर्देशित किया गया कि जब भी, जहाँ भी राज्य सरकार मांगे प्रस्तुत करे तथा इनको खुर्द–बुर्द नही करें। व्यवसायी श्री महेन्द्र सिंह हाडा ने उक्त कृत्य कर एलपीजी (प्रदाय और वितरण का विनियमन) आदेश 2000 का स्पष्ट उल्लघंन किया है। उक्त जब्तशुदा 30 घरेलू गैस सिलेण्डरों मय 95 किलो एलपीजी, 2 मोटर मय पाईप ग्लासी इन्डिकेटर को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होने से उक्त सामग्री जप्त सरकार कि गई है जिसे राजसात किया जावे।

अभिभाषक अप्रार्थी का कथन है कि जवाब को ही बहस माना जावे।

अभिभाषक अपीलाण्ट व पेरोकार सरकार की बहस/जवाब पर मनन किया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया। फर्द मौका जप्ती दि0 15.12.2022 के अनुसार मै. महेन्द्र सिंह हाडा पुत्र स्व. श्री रामपाल हाडा जाति हाडा निवासी एजेन्सी एरिया देवली के मकान/दुकान की तलाशी/निरीक्षण करने पर मौके पर 30 घरेलू गैस सिलेण्डर बाबत श्री महेन्द्र सिंह हाडा द्वारा सतोषप्रद जवाब नही दिये जाने पर उनको जब्त किया गया। सिलेण्डरो का विवरण निम्नानुसार है

(सभी मात्रा किलोग्राम में)

क्र.स.	एस.आर. नम्बर	कम्पनी का नाम	मानक भार	खाली सिलेण्डर वजन	सिलेण्डर का वजन तौलने पर	शुद्व गैस
01	250134-T	(BPCL)	14.2 k.g.	15.4	20.0	4.3
02	217043-P	(BPCL)	14.2 k.g.	15.7	15.8	0.1
03	013520-J	(BPCL)	14.2 k.g.	15.7	16.3	0.6
04	913607-T	(BPCL)	14.2 k.g.	15.6	16.2	0.6
05	273996-T	(BPCL)	14.2 k.g.	15.7	15.7	0
06	145570-J	(BPCL)	14.2 k.g.	15.4	15.9	0.5
07	270769-T	(BPCL)	14.2 k.g.	16.0	16.4	0.4
08	751383-S	(BPCL)	14.2 k.g.	15.5	15.5	0
09	510846-S	(BPCL)	14.2 k.g.	15.9	16.3	0.4
10	84415-T	(BPCL)	14.2 k.g.	15.7	16.0	0.3

जिला कलेक्टर
टोंक

11	16430-S	(BPCL)	14.2 k.g.	15.7	15.7	0
12	468680-S	(BPCL)	14.2 k.g.	16.0	16.0	0
13	25484-S	(BPCL)	14.2 k.g.	15.7	15.7	0
14	357628-S	(BPCL)	14.2 k.g.	15.6	16.0	0.4
15	194961-S	(BPCL)	14.2 k.g.	16.0	16.0	0
16	028360-S	(BPCL)	14.2 k.g.	15.5	16.1	0.6
17	11933-S	(BPCL)	14.2 k.g.	15.6	15.6	0
18	21338-S	(BPCL)	14.2 k.g.	16.0	16.0	0
19	237769-S	(BPCL)	14.2 k.g.	16.3	16.3	0
20	790002-S	(BPCL)	14.2 k.g.	15.6	15.6	0
21	000370-T	(BPCL)	14.2 k.g.	15.8	15.8	0
22	104019-S	(BPCL)	14.2 k.g.	15.7	16.3	0.6
23	215054-S	(BPCL)	14.2 k.g.	16.4	17.1	0.7
24	18334-S	(BPCL)	14.2 k.g.	15.6	30.2	14.6
25	23045-S	(BPCL)	14.2 k.g.	16.7	30.5	13.8
26	70700-S	(BPCL)	14.2 k.g.	16.0	29.9	13.9
27	330357-S	(BPCL)	14.2 k.g.	15.5	29.5	14
28	252	(BPCL)	14.2 k.g.	15.5	30.1	14.6
29	367027-S	(BPCL)	14.2 k.g.	15.7	30.3	14.6
30	100786-B	(BPCL)	14.2 k.g.	15.4	15.4	0
				Total		95 KG

अवैध गैंस रिफिलिंग की सूचना प्राप्त होने पर जांच दल द्वारा जांच करने पर मकान/दुकान मे मौके पर 30 घरेलू गैस सिलेण्डरों का अवैध भण्डारण किया जाना पाया गया।दुकान में 02 मोटर मय पाईप ग्लासी इन्डिकेटर जो पाईप एवं मोटर के बीच में जुड़ा हुआ था। जिससे वाहनों में अवैध रिफिलिंग का कार्य किया जाता है, रखी हुई थी, जिसका एक सिरा घरेलू गैस श्रेणी के सिलेण्डर से जुडा हुआ था एव मोटर बिजली के तार बोर्ड से जुडी हुई थी। फर्द मौका/जप्ती पर कैलाश, महेन्द्र तथा महेन्द्र शर्मा के हस्ताक्षर है। सुपुर्दगीनामे पर भी कैलाश, महेन्द्र व महेन्द्र शर्मा के हस्ताक्षर है तथा कपिल दाधीच प्रतिनिधि मोहन गैस डिस्ट्रिबुटर्स देवली के हस्ताक्षर है जिनको उक्त सामग्री सुपुर्दगी मे दी गई है।

अभिभाषक अप्रार्थी ने जवाब में अंकित किया है कि उक्त सिलेन्डर अप्रार्थी की दुकान में रखे हुए हो इस तथ्य की पुष्टि बाबत कोई विडियोग्राफी/फोटोग्राफ तथा तथ्यात्मक सबूत भी प्रर्वतन निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत नहीं किये गये है, परन्तु पत्रावली का अवलोकन करने से जाहिर होता है कि सम्पूर्ण कार्यवाही स्वंतत्र गवाह कैलाश व महेन्द्र के समक्ष की गई है।

जिला कलेक्टर
टोंक

घरेलू गैस जिस पर सरकार द्वारा समय–समय पर सब्सिडी दी जाती है को घरेलू गैस सिलेण्डरों का अवैध भण्डारण व ईधन के रूप में अवैध रूप से रिफिलिंग के कार्य में प्रयोग करने से उक्त कृत्य कर एलपीजी आदेश 2000 के प्रावधानों का उल्लघन है जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। अतः उक्त सामग्री को राजसात किया जाना उचित प्रतीत होता है।

फलतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा जब्बशुदा 30 नग उक्त वर्णित घरेलू रसोई गेस सिलेण्डर मय 95 **kg** को राजसात किया जाता है। जिला रसद अधिकारी टोंक को निर्देशित किया जाता है कि जब्बशुदा सामग्री का नियमानुसार निस्तारण करे।

निर्णय आज दिनांक 07.02.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

जिला कलेक्टर (राजस्थान)

(डॉ. सौम्या झा)
जिला कलेक्टर,टोंक
जिला कलेक्टर
टोंक